

3 अक्टूबर 2025

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-- अधिसूचना --

क्रमांक / 5329/भू-अर्जन/2025

कोरबा, दिनांक 25/04/2025

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की हरदीबाजार-तरदा-सर्वमंगला-इमलीछापर मार्ग लं. 27.19 कि.मी. में सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

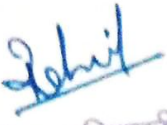
भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : दीपका
3. ग्राम/नगर : मलपहरी
4. भूमि का क्षेत्रफल: 2.195 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
272/4	0.057	361/2	0.203
272/7	0.020	362/1	0.040
272/8	0.048	362/2	0.020
272/6	0.035	365/2	0.050
272/5	0.031	349/1	0.101
272/2	0.109	334/5	0.020
356/3	0.004	332/3/ग	0.060
356/2	0.045	332/1	0.070
358	0.010	332/3/क	0.010
351/1	0.120	332/3/ख	0.040
357/3	0.012	333	0.101
352	0.010	322/2	0.004
347	0.050	334/4	0.160
351/3	0.040	323/3	0.004
351/2	0.036	322/3	0.045
351/4	0.040	324/1	0.202
348	0.050	322/1	0.004
349/2	0.050	323/1	0.080
350/1	0.049	323/3	0.070
350/4	0.010	319/3	0.020
350/3	0.004	319/2	0.061
361/1		365/6	
योग :-	कुल खसरा नं. - 45, कुल रकबा - 2.195 हे.		


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुविभागीय अधिकारी (रा.))
कलेक्टर,
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग